

फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय का नाम :- उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

केस सं. / 202.....

क. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/अतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 23/9/25 को पेश हो</p> <p style="text-align: right;">Neha</p>
	3.9.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/अतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है। पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 26/9/25 को पेश हुई।</p> <p style="text-align: right;">Neha</p>
	26.9.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित। वादी को न्यायालय में प्रथम-पृथक समय पर तीन तीन बार भावापे खोजा गयी। बावजूद सावाज पेशवाने के उपरांत भी वादी के न्यायालय में हाजिर नहीं आने के कारण पत्रावली अन्तर्गत सर्टिस-9 नियम-3710 की तहत मद्रस हाजरी व मद्रस बेरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली क्रमशः शुमार होकर नंबर ले कम होकर अखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">Neha उपखंड अधिकारी जोबनेर, जयपुर</p>